



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in
(कमरा नं. एन-111, बैंक बिल्डिंग, द्वितीय तल)

क्रमांक: जविप्रा/अ.अ. (द्र.नदी.-॥)/2021-22/डी- 717 दिनांक : 23.09.2021

शुद्धि पत्र

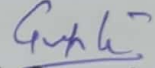
निविदा सूचना सं. जविप्रा/अधि.अभि. (द्र.नदी.-॥)/04/2021-22

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा द्रव्यवती नदी स्थित गांव गौनेर एवं बरखेडा में कल्वर्ट का निर्माण कार्य के लिये, जिसकी अनुमानित राशि रु. 998.65 लाख (UBN No. JDA2122WLOB00281) के लिये ऑनलाईन बिड्स आमंत्रित की गई। निविदा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प-1(24)नविवि/१/2020 लूज दिनांक 20.09.2021 (प्रति संलग्न) की अनुपालना में (निविदा) Technical Bid & Financial Bid की SPECIAL CONDITIONS की SCHEDULE 'H' में क्रम.सं. 29 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

बी.एस.आर. से कम दर प्राप्त होने पर ली जाने वाली अन्तर राशि वर्क परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में BG/FDR/NSC कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ली जायेगी तथा इसे कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर दोषनिवारण अवधि उपरांत वापस लौटा दिया जायेगा। शेष शर्तें संलग्न आदेश अनुसार प्रभावी रहेगी।

उक्त संशोधन की अनुपालना में निविदा प्राप्ति दिनांक 04.10.2021 एवं खोलने की दिनांक 05.10.2021 यथावत रहेगी।

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(के.सी. गुप्ता)
अधिशायी अभियन्ता
(द्रव्यवती नदी-॥)
जविप्रा, जयपुर

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जायें। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जायें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा ये निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त हैं, इस सम्वन्ध में निविदा दरतावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

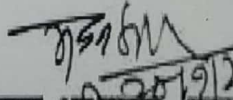
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग